तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/3/24	पत्रावली पेश हुई। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाता है। निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध जरिये आदेशिका तामील जारी किया जावे। पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु नियत है वास्ते हेतु पेश दिनांक को पेश हो आदेश जारी हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. गोपाल 2. प्रभू } पुत्रान भौरू 3. जौहरी 4. जनकी 5. छोटीबाई } पुत्रीयान भौरू	रामरत जातियान कहार निवासीगान कहारपुरा झील का हार तहसील व जिला करौली राज0

वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र रतन जाति कहार आयु 50 साल निवासी पुल बरखेडा के पास करौली
2. रामदयाल पुत्र किशन जाति कहार आयु 45 साल निवासी तीन बड के पास झील का हार करौली
3. योगेश उर्फ मुकेश पुत्र शिवचरण जाति कहार आयु 25 साल निवासी छतपाडा करौली तहसील व जिला करौली राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 188, 183 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 50/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री ऐश्वर्य सिंह,** एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री विष्णु बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/3/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–50 / 12 तारीख रजु:–13.06.2012

उनवान

1. गोपाल
2. प्रभू } पुत्रान भौरू
3. जौहरी
4. जनकी } पुत्रीयान भौरू
5. छोटीबाई

समस्त जातियान कहार निवासीयान कहारपुरा झील का हार तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र रतन जाति कहार आयु 50 साल निवासी पुल बरखेडा के पास करौली
2. रामदयाल पुत्र किशन जाति कहार आयु 45 साल निवासी तीन बड के पास झील का हार करौली
3. योगेश उर्फ मुकेश पुत्र शिवचरण जाति कहार आयु 25 साल निवासी छतपाडा करौली तहसील व जिला करौली राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 188, 183 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 21/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 6418 रकवा 3 विस्वा, 6419 रकवा 2 विस्वा, 6421 रकवा 19 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 1 वीघा 4 विस्वा वाके ग्राम कस्बा करौली जोन–बी में वादीगण के खाते व कब्जे की स्थित है वादीगण के मकानात आबादी भूमि खसरा नं0 6431 में बने हुये है इस जमीन से लगी हुई वादीगण की अन्य भूमि और है जो वादीगण की है जिनके खसरा नं0 6416, 6417, 6420, हे जो इस प्रकरण में विवादित नही है इस भूमि में जाने के लिये वादीगण ने 20 फुट चौडा रास्ता अपने निजी उपयोग के लिये खसरा नं0 6421 में बना रखा है जिसमें केवल वादीगण ही आते जाते है अन्य किसी का इस रास्ते से कोई संबंध नही है नजरी नक्शा दावे के साथ पेश किया जा रहा है जो दावे का जुज है। कल्याण, रामदयाल को 15–20 वर्ष पहले रहने के लिये

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

जमीन की आवश्यकता थी इस कारण वादीगण की मौजुदगी में वादीगण के पिता भौरू ने प्रतिवादी कल्याण को 28 फुट बाई 17 फुट भूमि रास्ता के दक्षिण दिशा की ओर बता दी जिसमें 3 गेह दुपल्ला पाटोर व आंगन शामिल है जिसे नजरी नक्शे मे मार्क ए से दर्शित किया रहा है। रामदयाल पुत्र किशन को 12 फुट बाई 30 फुट भूमि जिसमें 2 गेह दुपल्ला पाटोर पोश मय कोंडा व आंगन मार्क बी रास्ते के उत्तर की ओर तथा योगेश उर्फ मुकेश कहार को 181/2 फुट बाई 30 फुट भूमि जिसमें 3 गेह एक पल्ला मय आंगन जिसे नक्शे में मे मार्क सी से दर्शाया गया है। रास्ते के दक्षिण दिशा की ओर को इजाजतन रहने को 2 वर्ष पहले बता दी और सभी प्रतिवादीगण को वादीगण की इजाजत से रहने को दी थी अब प्रतिवादी नं0 1 कल्याण ने अपना मकान निजी पुत्र बरखेडा के पास बना लिया है और वह करीब 10 वर्ष से वही पर निवास कर रहा है तथा प्रतिवादी नं0 2 रामदयाल ने झील का हार तीन बडा अतिक्रमण करके एक गेह दुपल्ला मार्क डी व दो गेह एक पल्ला मार्क ई का अवेध निर्माण कर मार्ग को सकडा कर दिया और अब रास्ता मात्र 5 फुट का रह गया है। यह अवैध निर्माण रामदयाल ने करीब 5–6 पुर्व किया है योगेश उर्फ मुकेश प्रतिवादी नं0 3 छतपाडा करौली में करीब 1 वर्ष से निवास कर रहा है उक्त तीनो प्रतिवादीगण प्रार्थी के मकान व जमीन काश्ता को अन्यत्र व्यक्ति को वय कर नाजायज रूप से पैसा प्राप्त करना चाहते है वादी गोपाल ने व्यवस्था दूसरी जगह कर ली है आप हमारे मकान व जमीन को छोडो तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम इस मकान व जमीन को ताकतवर लट्ठ वाले व्यक्ति गुर्जर या मीना व्यक्ति को बेच देंगे जो तुम्हें ताकत के बल पर तुम्हारी जमीन को छीनकर तुम्हें बेदखल कर देंगे वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि इंसानियत के नाते तुम्हारे रहने के लिये यह जमीन मकान इजाजतन रहने को दिये थे तुमको इन मकान व जमीन को बेचने का अधिकार नही है तो प्रतिवादीगण झगडा करने पर आमादा हो गये और ऐलानियां मकान व जमीन को वय करने की धमकी दी। प्रतिवादीगण झगडालू व्यक्ति है पूर्व में भी प्रार्थी गोपाल के साथ झगडा कर चुके है जिसका इस्तगासा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

107, 116 सी.आर.पी.सी. दिनांक 15.5.2012 को न्यायालय श्रीमान जी में पेश किया था जिसकी तफतीश अभी चल रही है इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी जमीन को नाजायज रूप से वय कर अवैध रूप से पैसा प्राप्त कर लेंगे जिसके कारण वादीगण के हक हकूको पर भारी आघात होगा जिसकी पूर्ति जरे नकद कतई संभव नही होगी इस कारण प्रतिवादीगण लायके पाबंदी है तथा प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत दिनांक 8.6.2012 को ऐलानियां वादीगण की खातेदारी की भूमि को वय करने की कहने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। दावा अन्दर म्याद पेश है। श्रीमानजी को दावा सुनने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात खसरा नं0 6481 व 6419–6421 कस्बा करौली वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है। वादीगण के मकानियत आबादी भूमि खसरा नंबर 6471 में बने हुऐ नही है। खसरा नंबर 6431 से लगी हुई वादी की खातेदारी की आराजीयात नही है। खसरा नंबर 6400 गैर मुमकिन नदी है और खसरा नंबर 6431 गैर मुमकिन आबादी है। जिसका खातेदारी इन्द्राज पांचना सिचाई परियोजना करौली के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 6416–6417–6420 वादीगण के खातेदारी की नही है। खसरा नंबर 6417–6420 पांचना सिंचाई परियोजना के खातेदारी की है। भूमि में आने जाने के लिए 20 फीट चौडाई का रास्ता खसरा नंबर 6421 में बना हुआ नही है। नाही वादीगण ऐसे रास्तें से आतें जाते है। वादीगण ने नक्शा वादपत्र के साथ गलत पेश किया है। रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार नक्शा पेश नही किया गया है। खसरा नंबर 6421 के दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 6420 और उत्तर दिशा में खसरा नंबर 6420 है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खसरा नंबर 6421 के पूर्व दिशा में खसरा नंबर 6431 है। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ पेश किया गया नक्शा दावे का जुज होने का कोई प्रश्न नही है। वादीगण द्वारा राजस्व नक्शा पेश नही किया गया है। खसरा नंबर 6377 में वादीगण भवन है और खसरा नंबर 6421 में वादी कृषि करता है। प्रतिवादी कल्याण व रामदयाल की रिहायशी भवन प्रतिवादीगण के पिता के समय से 50 सी वर्ष पूर्व से बने हुऐ है। वादीगण व वादीगण के पिता से प्रतिवादी कल्याण ने व रामदयाल ने जमीन आवश्यकता बताते हुऐ भूमि प्राप्त नही की हे नाही वादीगण व उनके पिता ने प्रतिवादीगण को रिहायशी के लिऐ भूमि बताई है प्रतिवादीगण के भवन खसरा नंबर 6431 में 50 सौ वर्ष पूर्व से रिहासत कालीन समय से पिता प्रतिवादीगण के समय से बने हुऐ है और इन्हीं भवनों में प्रतिवादीगण के जन्म हुऐ है। यह भवन खसरा नंबर 6431 में बने हुऐ है। 15–20 साल पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा पाटोर पोश नही चढाई गई है नाही कोई प्रश्न है। प्रतिवादीगण के पाटोर पोश निर्माण 50 सौ वर्ष पूर्व से पिता प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण करार्य हुऐ है। योगेश का भवन भी खसरा नंबर 6431 में है। वह भी वादीगण की इजाजत से नही है नाही कोई प्रश्न है। खसरा नंबर 6421 में प्रतिवादीगण के भवन नही है। बल्कि खसरा नंबर 6431 में है नक्शा गलत पेश किया गया है। खसरा नंबर 6431 में प्रतिवादीगण के अलावा हरि पुत्र बालू कहार, करण कहार, आदि के भवन बने हुऐ है। किस दिवस, माह, सन् में इजाजत दी। यह भी वादीगण ने वादपत्र में दर्ज नही किया है। वादीगण ने बनावटी मनगढन्त व असत्य तथ्य दर्ज किये है। प्रतिवादी कल्याण में निजी भवन बरखेडा पुल के पास बनाया है। उसे 30 वर्ष का अर्सा हो गया है। जिसमें परचूनी दुकान व चक्की आटा है रिहायश खसरा नंबर 6431 में है। उससे भी वादीगण का कोई संबंध नही है। रामदयाल ने झील का हार में भवन बनाया है। जिन में वादी का कोई सबंध नही है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। वादी ने वादपत्र के इस पैरा में खसरा नंबर भी दर्ज नही किया है। 20 फीट का कभी रास्ता नही रहा हैं। बल्कि प्रतिवादीगण की जायदाद को व वादी के भवन खसरा नंबर 6373

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

स्थित को रास्ता पगडण्डी हमेशा हमेशा से रहा है। जिसकी चौडाई 4=5 फीट हमेशा हमेशा से हे मार्ग अवरूद्व व सकडा किये जाने का प्रतिवादीगण का कोई प्रश्न नही है। प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 6431 आबादी भूमि में स्थित भवन से वादी का कोई मालिकाना काबिजाना संबंध नही है। प्रतिवादीगण को अपने भवन स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 6431 में रहन का विधिक अधिकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण के भवनों में किसी प्रकार का अधिकार नही हैं। दिनांक 8.6.12 के दिवस का तथ्य वादीगण ने झूठा वादकारण बनाने की बदनियती से दर्ज किया है। प्रतिवादीगण भवन वादी की इजाजत से वादीगण के पिता की इजाजत से बने हुऐ नही है और वादीगण की खातेदारी की भूमि में बने हुऐ नही है। नाही खसरा नंबर वादी द्वारा पैरा नंबर 2 में दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कहने से खाली किये जाने का कोई प्रश्न नही हैं प्रतिवादीगण का उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। भवन प्रतिवादीगण वादी की इजाजत से बने हुऐ नही हैं। वादीगण को कोई बाद कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व पैदा नहीा होता है, जब वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य झगडा मई 2012 में होना वादी द्वारा बताया जाता है उस स्थिति में दिनांक 8.6.2012 के दिवस वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से भवनखाली करने की कहें जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। किस कारण 15.5.2012 के दिवस इस्तगासा पेश किया गया नही बातया गया हैं। जब इस कारण वाद कारण 8.6.2012 के दिवस उत्पन्न होने का प्रश्न नही हैं। वादीगण ने झूठा बाद बनावटी व झूठे तथ्यों को दर्ज कर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वादीगण न्यायालय में शुद्वहस्त से नही आया है। भवन खसरा नंबर 6431 में प्रतिवादीगण बने हुऐ है जो आबादी भूमि 50सौ वर्ष पूर्व से बने है। इसलिये न्यायालय हाजा राजस्व को आबादी भूमि के संबंध में वादपत्र श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार नही है। वादीगण द्वारा नक्शा वादपत्र में रिहायशी भवन होना प्रतिवादीगण की रिहायश होना व रास्ता होना दर्ज किया हे। इस प्रकार वादी स्वयं यह मानता है कि खसरा नंबर 6421 में प्रतिवादीगण की आबादी है रिहायश है और भूमि आवास के उपयोग आर ही है रास्ता के उपयोग में आ

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रही है और बाद कारण भी रास्ता भूमि दबाने पर सकडा करने पर उत्पन्न होना बताया है। ऐसी स्थिति में जहां आबादी व कृषि भूमि का मिश्रित बाद भी दीवानी न्यायालय में श्रवण योग्य होता है। राजस्व न्यायालय में आवासीय उपयोग उपभोग भूमि का रास्ता के प्रयोग में आ रही भूमि का रास्ते भूमि पर अतिक्रमण करने का वादराजस्व न्यायालय में पोषनीय नही होता हैं। राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होता हैं। बल्कि दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का बाद न्यायालय हाजा में सुनवाई योग्य नही होकर दीवानी न्यायालय के सुनवाई योग्य होने से वादीगण का बाद क्षेत्राधिकार के अभाव में आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने वादपत्र के इस पैरा में स्पष्ट अभिवचन नही किये है। भवन निर्माण पिता प्रतिवादीगण के समय से है। वादीगण ने दावे में भवन निर्माण किसने किया हैं। इस तथ्य को भी छिपाया है। दर्ज नही किया है। वादीगण का बताये गये भवनों पर किसी प्रकार का कब्जा नही है। वादीगण का उपयोग उपभोग नही है। 50 सौ वर्ष पूर्व से पिता प्रतिवादीगण के समय से प्रतिवादीगण का कब्जा है। और प्रतिवादीगण की ही रिहायश है। वादीगण का बाद अन्दर 12 वर्ष पेश नही हुआ है। इजाजती कब्जा होना वादीगण द्वारा दर्ज अभिवचन से माने जाने योग्य नही है। वादीगण के किसी हक हकूक पर आघात नही है। वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही है। वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण का बाद क्षेत्राधिकार विहीन है एवं मियाद बाहर है। वादीगण का बाद पोषनीय नही है। वादीगण दखल प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। वादीगण भवन के स्वामी नही है। प्रतिवादीगण के भवन खसरा नंबर 6431 में है। वादीगण इस भूमि का स्वामी/खातेदार नही है। वादीगण को विनाय दावा दिनांक 8.6.2012 के दिवस प्रतिवादीगण के विरूद्व उत्पन्न नही हुई है। वादीगण का बाद, वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। बाद न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण की मकानियत आबादी की है कोर्ट फीस नाकाफी है। कोई मालीयात वादी द्वारा दर्ज नही की

उपखण्ड अधिकारी

है। वादीगण चाही गई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। भवन प्रतिवादीगण खसरा नंबर 6431 में बने हुऐ है। खसरा नंबर 6421 में बने होना वादीगण ने असत्य व निराधार दर्ज किया है। वादीगण का बाद मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दाव वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र मद नं0 1 वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

   ––**वादीगण**

2. आया आराजी खसरा नं0 6421 के भाग मार्क ए,बी,सी,डी,ई नक्शा संलग्न वादपत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकार कब्जा कर लिया है। जिस पर वादीगण प्रतिवादीगण से दखल पाने के अधिकारी है।

   ––**वादीगण**

3. आया दावा वादीगण म्याद बाहर है। चलने योग्य नही है।

   ––**प्रतिवादीगण**

4. आया दावा वादीगण न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नही है।

   ––**प्रतिवादीगण**

5. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी गोपाल पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नजरी नक्शा प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी संवत 2064–67 प्रदर्श–3 पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी कल्याण डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–1, नक्शा शीट प्रदर्श ए–2, नजरी नक्शा खसरा नंबर 6431 प्रदर्श ए–3, नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–4 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं0 6418 रकवा 3 विस्वा, 6419 रकवा 2 विस्वा, 6421 रकवा 19

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 1 वीघा 4 विस्वा वाके ग्राम कस्बा करौली जोन–बी में वादीगण के खाते व कब्जे की स्थित है वादीगण के मकानात आबादी भूमि खसरा नं0 6431 में बने हुये है इस जमीन से लगी हुई वादीगण की अन्य भूमि और है जो वादीगण की है जिनके खसरा नं0 6416, 6417, 6420, हे जो इस प्रकरण में विवादित नही है इस भूमि में जाने के लिये वादीगण ने 20 फुट चौडा रास्ता अपने निजी उपयोग के लिये खसरा नं0 6421 में बना रखा है जिसमें केवल वादीगण ही आते जाते है अन्य किसी का इस रास्ते से कोई संबंध नही है नजरी नक्शा दावे के साथ पेश किया जा रहा है जो दावे का जुज है। कल्याण, रामदयाल को 15–20 वर्ष पहले रहने के लिये जमीन की आवश्यकता थी इस कारण वादीगण की मौजुदगी में वादीगण के पिता भौरू ने प्रतिवादी कल्याण को 28 फुट बाई 17 फुट भूमि रास्ता के दक्षिण दिशा की ओर बता दी जिसमें 3 गेह दुपल्ला पाटोर व आंगन शामिल है जिसे नजरी नक्शे मे मार्क ए से दर्शित किया रहा है। रामदयाल पुत्र किशन को 12 फुट बाई 30 फुट भूमि जिसमें 2 गेह दुपल्ला पाटोर पोश मय कोंडा व आंगन मार्क बी रास्ते के उत्तर की ओर तथा योगेश उर्फ मुकेश कहार को 181/2 फुट बाई 30 फुट भूमि जिसमें 3 गेह एक पल्ला मय आंगन जिसे नक्शे में मे मार्क सी से दर्शाया गया है। रास्ते के दक्षिण दिशा की ओर को इजाजतन रहने को 2 वर्ष पहले बता दी और सभी प्रतिवादीगण को वादीगण की इजाजत से रहने को दी थी अब प्रतिवादी नं0 1 कल्याण ने अपना मकान निजी पुत्र बरखेडा के पास बना लिया है और वह करीब 10 वर्ष से वही पर निवास कर रहा है तथा प्रतिवादी नं0 2 रामदयाल ने झील का हार तीन बडा अतिक्रमण करके एक गेह दुपल्ला मार्क डी व दो गेह एक पल्ला मार्क ई का अवेध निर्माण कर मार्ग को सकडा कर दिया और अब रास्ता मात्र 5 फुट का रह गया है। यह अवैध निर्माण रामदयाल ने करीब 5–6 पुर्व किया है योगेश उर्फ मुकेश प्रतिवादी नं0 3 छतपाडा करौली में करीब 1 वर्ष से निवाास कर रहा है उक्त तीनो प्रतिवादीगण प्रार्थी के मकान व जमीन काश्ता को अन्यत्र व्यक्ति को वय कर नाजायज रूप से पैसा प्राप्त करना चाहते है वादी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

गोपाल ने व्यवस्था दूसरी जगह कर ली है आप हमारे मकान व जमीन को छोडो तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम इस मकान व जमीन को ताकतवर लट्ठ वाले व्यक्ति गुर्जर या मीना व्यक्ति को बेच देंगे जो तुम्हें ताकत के बल पर तुम्हारी जमीन को छीनकर तुम्हें बेदखल कर देंगे वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि इंसानियत के नाते तुम्हारे रहने के लिये यह जमीन मकान इजाजतन रहने को दिये थे तुमको इन मकान व जमीन को बेचने का अधिकार नही है तो प्रतिवादीगण झगडा करने पर आमादा हो गये और ऐलानियां मकान व जमीन को वय करने की धमकी दी। प्रतिवादीगण झगडालू व्यक्ति है पूर्व में भी प्रार्थी गोपाल के साथ झगडा कर चुके है जिसका इस्तगासा 107, 116 सी.आर.पी.सी. दिनांक 15.5.2012 को न्यायालय श्रीमानजी में पेश किया था जिसकी तफतीश अभी चल रही है इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी जमीन को नाजायज रूप से वय कर अवैध रूप से पैसा प्राप्त कर लेंगे जिसके कारण वादीगण के हक हकूको पर भारी आघात होगा जिसकी पूर्ति जरे नकद कतई संभव नही होगी इस कारण प्रतिवादीगण लायके पाबंदी है तथा प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजीयात खसरा नं0 6481 व 6419–6421 कस्बा करौली वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है। वादीगण के मकानियत आबादी भूमि खसरा नंबर 6471 में बने हुऐ नही है। खसरा नंबर 6431 से लगी हुई वादी की खातेदारी की आराजीयात नही है। खसरा नंबर 6400 गैर मुमकिन नदी है और खसरा नंबर 6431 गैर मुमकिन आबादी है। जिसका खातेदारी इन्द्राज पांचना सिचाई परियोजना करौली के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 6416–6417–6420 वादीगण के खातेदारी की नही है। खसरा नंबर 6417–6420 पांचना सिंचाई परियोजना के खातेदारी की है। भूमि में आने जाने के लिए 20 फीट चौडाई का रास्ता खसरा नंबर 6421 में बना हुआ नही है। नाही वादीगण ऐसे रास्तें से आतें जाते है। वादीगण ने नक्शा वादपत्र के साथ गलत पेश किया है। रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार नक्शा पेश नही किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खसरा नंबर 6421 के दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 6420 और उत्तर दिशा में खसरा नंबर 6420 है। खसरा नंबर 6421 के पूर्व दिशा में खसरा नंबर 6431 है। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ पेश किया गया नक्शा दावे का जुज होने का कोई प्रश्न नही है। वादीगण द्वारा राजस्व नक्शा पेश नही किया गया है। खसरा नंबर 6377 में वादीगण भवन है और खसरा नंबर 6421 में वादी कृषि करता है। प्रतिवादी कल्याण व रामदयाल की रिहायशी भवन प्रतिवादीगण के पिता के समय से 50 सी वर्ष पूर्व से बने हुऐ है। वादीगण व वादीगण के पिता से प्रतिवादी कल्याण ने व रामदयाल ने जमीन आवश्यकता बताते हुए भूमि प्राप्त नही की हे नाही वादीगण व उनके पिता ने प्रतिवादीगण को रिहायशी के लिऐ भूमि बताई है प्रतिवादीगण के भवन खसरा नंबर 6431 में 50 सौ वर्ष पूर्व से रिहासत कालीन समय से पिता प्रतिवादीगण के समय से बने हुऐ है और इन्हीं भवनों में प्रतिवादीगण के जन्म हुऐ है। यह भवन खसरा नंबर 6431 में बने हुऐ है। 15–20 साल पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा पाटोर पोश नही चढाई गई है नाही कोई प्रश्न है। प्रतिवादीगण के पाटोर पोश निर्माण 50 सौ वर्ष पूर्व से पिता प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण करार्य हुऐ है। योगेश का भवन भी खसरा नंबर 6431 में है। वह भी वादीगण की इजाजत से नही है नाही कोई प्रश्न है। खसरा नंबर 6421 में प्रतिवादीगण के भवन नही है। बल्कि खसरा नंबर 6431 में है नक्शा गलत पेश किया गया है। खसरा नंबर 6431 में प्रतिवादीगण के अलावा हरि पुत्र बालू कहार, करण कहार, आदि के भवन बने हुऐ है। किस दिवस, माह, सन् में इजाजत दी। यह भी वादीगण ने वादपत्र में दर्ज नही किया है। वादीगण ने बनावटी मनगढन्त व असत्य तथ्य दर्ज किये है। प्रतिवादी कल्याण में निजी भवन बरखेडा पुल के पास बनाया है। उसे 30 वर्ष का अर्सा हो गया है। जिसमें परचूनी दुकान व चक्की आटा है रिहायश खसरा नंबर 6431 में है। उससे भी वादीगण का कोई संबंध नही है। रामदयाल ने झील का हार में भवन बनाया है। जिन में वादी का कोई सबंध नही है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। वादी ने वादपत्र के इस पैरा में खसरा नंबर भी दर्ज नही किया है। 20 फीट का कभी रास्ता नही रहा हैं। बल्कि प्रतिवादीगण की जायदाद को व वादी के भवन खसरा नंबर 6373 स्थित को रास्ता पगडण्डी हमेशा हमेशाा से रहा है। जिसकी चौडाई 4=5 फीट हमेशा हमेशा से हे मार्ग अवरूद्व व सकडा किये जाने का प्रतिवादीगण का कोई प्रश्न नही है। प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 6431 आबादी भूमि में स्थित भवन से वादी का कोई मालिकाना काबिजाना संबंध नही है। प्रतिवादीगण को अपने भवन स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 6431 में रहन का विधिक अधिकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण के भवनों में किसी प्रकार का अधिकार नही हैं। दिनांक 8.6.12 के दिवस का तथ्य

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादीगण ने झूठा वादकारण बनाने की बदनियती से दर्ज किया है। प्रतिवादीगण भवन वादी की इजाजत से वादीगण के पिता की इजाजत से बने हुऐ नही है और वादीगण की खातेदारी की भूमि में बने हुऐ नही है। नाही खसरा नंबर वादी द्वारा पैरा नंबर 2 में दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कहने से खाली किये जाने का कोई प्रश्न नही हैं प्रतिवादीगण का उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। भवन प्रतिवादीगण वादी की इजाजत से बने हुऐ नही हैं। वादीगण को कोई बाद कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व पैदा नहीा होता है, जब वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य झगडा मई 2012 में होना वादी द्वारा बताया जाता है उस स्थिति में दिनांक 8.6.2012 के दिवस वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से भवनखाली करने की कहें जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। किस कारण 15.5.2012 के दिवस इस्तगासा पेश किया गया नही बातया गया हैं। जब इस कारण वाद कारण 8.6.2012 के दिवस उत्पन्न होने का प्रश्न नही हैं। वादीगण ने झूठा बाद बनावटी व झूठे तथ्यों को दर्ज कर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वादीगण न्यायालय में शुद्वहस्त से नही आया है। भवन खसरा नंबर 6431 में प्रतिवादीगण बने हुऐ है जो आबादी भूमि 50सौ वर्ष पूर्व से बने है। इसलिये न्यायालय हाजा राजस्व को आबादी भूमि के संबंध में वादपत्र श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार नही है। वादीगण द्वारा नक्शा वादपत्र में रिहायशी भवन होना प्रतिवादीगण की रिहायश होना व रास्ता होना दर्ज किया हे। इस प्रकार वादी स्वयं यह मानता है कि खसरा नंबर 6421 में प्रतिवादीगण की आबादी है रिहायश है और भूमि आवास के उपयोग आर ही है रास्ता के उपयोग में आ रही है और बाद कारण भी रास्ता भूमि दबाने पर सकडा करने पर उत्पन्न होना बताया है। ऐसी स्थिति में जहां आबादी व कृषि भूमि का मिश्रित बाद भी दीवानी न्यायालय में श्रवण योग्य होता है। राजस्व न्यायालय में आवासीय उपयोग उपभोग भूमि का रास्ता के प्रयोग में आ रही भूमि का रास्ते भूमि पर अतिक्रमण करने का वादराजस्व न्यायालय में पोषनीय नही होता हैं। राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होता हैं। बल्कि दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का बाद न्यायालय हाजा में सुनवाई योग्य नही होकर दीवानी न्यायालय के सुनवाई योग्य होने से वादीगण का बाद क्षेत्राधिकार के अभाव में आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने वादपत्र के इस पैरा में स्पष्ट अभिवचन नही किये है। भवन निर्माण पिता प्रतिवादीगण के समय से है। वादीगण ने दावे में भवन निर्माण किसने किया हैं। इस तथ्य को भी छिपाया है। दर्ज नही किया है। वादीगण का बताये गये भवनों पर किसी प्रकार का कब्जा नही है। वादीगण का उपयोग उपभोग नही है। 50 सौ वर्ष पूर्व से पिता प्रतिवादीगण के समय से प्रतिवादीगण का कब्जा है। और

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण की ही रिहायश है। वादीगण का बाद अन्दर 12 वर्ष पेश नही हुआ है। इजाजती कब्जा होना वादीगण द्वारा दर्ज अभिवचन से माने जाने योग्य नही है। वादीगण के किसी हक हकूक पर आघात नही है। वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही है। वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण का बाद क्षेत्राधिकार विहीन है एवं मियाद बाहर है। वादीगण का बाद पोषनीय नही है। वादीगण दखल प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। वादीगण भवन के स्वामी नही है। प्रतिवादीगण के भवन खसरा नंबर 6431 में है। वादीगण इस भूमि का स्वामी/खातेदार नही है। वादीगण को विनाय दावा दिनांक 8.6.2012 के दिवस प्रतिवादीगण के विरूद्व उत्पन्न नही हुई है। वादीगण का बाद, वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। बाद न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण की मकानियत आबादी की है कोर्ट फीस नाकाफी है। कोई मालीयात वादी द्वारा दर्ज नही की है। वादीगण चाही गई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। भवन प्रतिवादीगण खसरा नंबर 6431 में बने हुऐ है। खसरा नंबर 6421 में बने होना वादीगण ने असत्य व निराधार दर्ज किया है। वादीगण का बाद मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार हैः-

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–2 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2064–67 प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है। जिसमें भूमि वादग्रस्त वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नंबर 6421 रकबा 19 बिस्वा में से केवल 8 बिस्वा में ही फसल बाजरा संवत 2064–65 में दर्ज है एवं संवत 2066–67 में भूमि पड़त दर्ज है। वादी नें अपनी मौखिक साक्ष्य में भूमि पर प्रतिवादीगण को इजाजतन मकान बनाने को भूमि दिये जाने से कब्जा बताया है। परन्तु कोई सहमति इजाजत के संबंध में दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये है। अपनी जिरह में भूमि में मकान 15–16 वर्ष पूर्व बने हुए होना बताया है। इस संबंध में दिनांक 26.09.2025 को तहसीलदार, करौली द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें 10 बिस्वा भूमि में आबादी बनी हुई होना एवं 9

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बिस्वा भूमि खाली पडी होना बताया है। जिससे स्पष्ट है कि भूमि में मकानियत निर्माण होकर रिहायश की जा रही है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 में वादी भूमि पर कब्जा काश्त होना साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नजरी नक्शा प्रदर्श–1 पेश किया है एवं अपने वादपत्र में भूमि में 5–6 वर्ष प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण करना बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर पितागण के समय से मकानियत निर्माण कर रिहायश करना बताया है। वादी ने भूमि पर प्रतिवादीगण का इजाजती कब्जा होना बताया है। परन्तु कोई दिनांक व लिखापढ़ी इजाजतन कब्जे की पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है और जिरह में वादी ने प्रतिवादी कल्याण व रामदयाल के मकान 25–30 साल पुराने है और यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी कल्याण व रामदयाल मकान अपने पिता के समय से बने हुए है और उनका जन्म भी इसी मकान में होना स्वीकार किया है। इन समस्त तथ्यों से भूमि में प्रतिवादीगण की मकानियत काफी लम्बे अर्से से बनी होना वादी का स्वीकृत है। वादी प्रतिवादीगण से भूमि पर 12 साल से अधिक वर्ष से कब्जा होने से दखल प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में भूमि में मकानियत अपने पितागण के समय की बनी होना बताया है और पाटौर बने 25–30 का समय हो जाना बताया है। स्वंय वादी ने भी अपनी जिरह में प्रतिवादीगण की मकानियत 25–30 साल पुराने बने होना स्वीकार किया है। वादी द्वारा यह वादपत्र 12 वर्ष की अधिक की देरी से प्रस्तुत किया गया है। जो म्याद बहार है। अतः विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में यह नहीं बताया है कि दावा न्यायालय हाजा में किस कारण सुनवाई किये जाने योग्य नहीं है जबकि धारा 183, 188 आर टी एक्ट का वाद कृषि भूमि के संबंध में सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को ही प्राप्त है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 4 के विवेचन से एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार, करौली दिनांक 26.09.2025 से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण व अन्य की आबादी, निर्माण रिहायश 10 बिस्वा भूमि में होना एवं 9 बिस्वा भूमि खाली पडी होना एवं प्रतिवादीगण की मकानियत 25–30 वर्ष पूर्व से बनी होना वादीगण का स्वीकृत है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई दखल प्राप्त करने के एवं किसी प्रकार की स्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। दावा वादीगण म्याद बहार है और चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली